

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, धनवा)

प्रकरण सं.:- 120/2018

दिनांक:- 18.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1636

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी चाडो की ढाणी व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 212 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि लच्छाराम पुत्र आदूराम के स्थान पर लच्छाराम पुत्र आईदानराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। शेष बद्रूस्तर रहेंगा।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 18.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1637-39

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लच्छाराम पुत्र आईदानराम निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी